State Council of Educational
Research & Training, Chhattisgarh
Shankar Nagar, Raipur (C.G.)

राज्य शैक्षिक अनुसंधान
एवं प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़,
शंकर नगर, रायपुर

Telephone-0771-2443596 Fax-0771-2443496 Website: www.scert.cg.gov.in Email: scertcg@gmail.com

क्रमांक/शिक्षक शिक्षा/30–2 डी.एड./दूरस्थ शिक्षा/2013–14 4082 दिनांक 12.08.1
प्रति

आयुक्त,

लोक शिक्षण संचालनालय

पेंशनबाड़ा रायपुर, छत्तीसगढ़।

विषय :– दूरस्थ शिक्षा से अप्रशिक्षित शिक्षकों के डी.एड. प्रशिक्षण हेतु स्त्रोत व्यक्तियों व प्रशिक्षार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने विषयक्।

––00––

आपको विदित है कि RTE 2009 के अंतर्गत 03 सितंबर 2001 के बाद नियुक्त प्रारंभिक विद्यालयों के अप्रशिक्षित शिक्षकों को 05 वर्ष की समय सीमा में प्रशिक्षित किया जाना है। एस.सी.ई.आर.टी.द्वारा राज्य में शासकीय व शत् प्रतिशत् अनुदान प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों हेतु द्विवर्षीय डी.एड. प्रशिक्षण कार्यक्रम विगत् सत्र 2012–13 से संचालित किया जा रहा है विगत् सत्र में 10000 शिक्षक पंजीकृत थे वर्तमान सत्र 2013–14 में शेष सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को पंजीकृत किया जाना है जिनकी संख्या लगभग 28000 है। यह प्रशिक्षण लगभग 135 केन्द्रों के माध्यम से संचालित किया जावेगा।

प्रशिक्षण के सफल संचालन हेतु सभी संबद्ध विभागों के सतत् सहयोग की आवश्यकता है,इस हेतु आपका ध्यान अधोलिखित बिंदुओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ–

- प्रशिक्षण में शामिल अप्रशिक्षित शिक्षक स्कूल शिक्षा विभाग, आदिम जाति विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय निकाय के है अतः यह सभी विभागों का संयुक्त कार्यक्रम है। अतः आपसे अनुरोध है कृपया अपने अधीनस्थों को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को सर्वप्राथमिकता दिए जाने निर्देशित करें।
- प्रशिक्षण हेतु राज्य में 20 डाइट/बी.टी.आई./निजी प्रशिक्षण संस्थाएँ तथा 115 से अधिक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। इस तरह लगभग 135 अध्ययन केन्द्र बनाए गए हैं। प्रत्येक अध्ययन केन्द्र में 12 से 14 स्रोत व्यक्ति विषय प्रशिक्षक के रूप में चिन्हांकित किए गए है तथा इन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है। शुरू के 6–7 दिन के सिवाय प्रशिक्षण सामान्यतः अवकाश के दिनों में संचालित किया जाता है। इन स्रोत व्यक्तियों को संबंधित संस्था प्रमुख एवं अन्य अधिकारियों द्वारा कार्यमुक्त नहीं किया जाता है जिससे प्रशिक्षण संचालन में

कठिनाई होती है तथा गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। अतः इन स्रोत व्यक्तियों को प्रशिक्षण अवधि में कार्यमुक्त करने हेतु कृपया संस्था प्रमुखों व अन्य अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

- प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षार्थियों हेतु अध्ययन केन्द्रों में प्रति वर्ष 32 दिन का संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिसमें परीक्षा लेने वाली निकाय छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल के नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवश्यक है। अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षार्थियों को इस अवधि में कार्यमुक्त न करने अथवा अन्य कार्यों में संलग्न कर देने के कारण इनकी उपस्थिति पूरी नहीं हो पाती। विगत् वर्ष कम उपस्थिति के कारण कुछ प्रशिक्षार्थी परीक्षा से वंचित रह गए थे। चूंकि प्रशिक्षण RTE के तहत् किया जा रहा है अतः कृपया इनसे RTE में उल्लेखित राष्ट्रीय महत्व के कार्यों जैसे चुनाव आदि को छोड़कर प्रशिक्षण अवधि में अन्य कार्य न लिए जाएं एवं संपर्क कार्यक्रमों में सम्मिलित होने हेतु अनिवार्यतः कार्यमुक्त किया जावे।
- इस वर्ष कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों के अतिरिक्त हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी में पदस्थ अथवा स्कूल के अतिरिक्त अन्य जगहों पर कार्य कर रहे सहायक शिक्षक/सहायक शिक्षक (पंचायत)/सहायक शिक्षक विज्ञान/सहायक शिक्षक विज्ञान (पंचायत) को भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। पाठ्यक्रम अनुसार शिक्षकों को प्रथम वर्ष 60 दिवस एवं द्वितीय वर्ष 65 दिवस का शालेय चिंतन मनन कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालयों में पूरा करना होता है। इस अवधि में वे शिक्षण योजना बनाकर विषयों का अध्यापन करने के साथ ही बच्चों व समुदाय के साथ विभिन्न कार्य व गतिविधियाँ तथा प्रोजेक्ट कार्य पूरा करते है इसका प्रतिवेदन तैयार करते है व विभिन्न प्रपत्र भरते है। इसी के आधार पर इनका व्यावहारिक मूल्यांकन होता है अतः इस अवधि में ऐसे शिक्षकों को 60 दिवस हेतु (द्वितीय वर्ष 65 दिवस हेतु) निकटस्थ प्राथमिक विद्यालयों में संलग्न करने हेतु आदेशित करने का कष्ट करें ताकि वे शालेय चिंतन मनन कार्यक्रम पूरा कर सकें।
- सत्र 2013–14 के 32 दिन संपर्क कार्यक्रम का शेड्यूल आपके अवलोकनार्थ पत्र के साथ संलग्न है। प्रारंभ में दोनों वर्षों हेतु 05–05 दिवस के संपर्क कार्यक्रम कार्यदिवसों में आयोजित होने है (प्रथम वर्ष हेतु दिनांक 23.08.13 से

दिनांक 27.08.13 एवं द्वितीय वर्ष हेतु दिनांक 29.08.13 से 02.09.13) शेष सभी संपर्क कार्यक्रम अवकाश के दिनों में संपन्न होने है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु कृपया अपने अधीनस्थ जिला एवं विकास खंड स्तर के अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें ताकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

संलग्न– प्रथम व द्वितीय वर्ष हेतु 32 दिवस के संपर्क कार्यक्रम का शेड्यूल।

(अनिल राय)
संचालक
एस.सी.ई.आर.टी.छ.ग.रायपुर

पृ.क्रमांक / शिक्षक शिक्षा / 30–2 डी.एड / दूरस्थ शिक्षा / 30–2 / 2013–14 4021 दिनांक 12.08.13

प्रतिलिपि – सचिव,

1. ~~अध्यक्ष~~, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग छत्तीसगढ़,रायपुर।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर।
3. मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन,राज्य परियोजना कार्यालय छत्तीसगढ़, रायपुर।
4. कलेक्टर, जिला ....छत्तीसगढ़।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत..छत्तीसगढ़।
6. सर्व जिला शिक्षा अधिकारी .... छत्तीसगढ़।
7. सर्व सहायक आयुक्त ....आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग छत्तीसगढ़।
8. सर्व जिला परियोजना समन्वयक..राजीव गांधी शिक्षा मिशन छत्तीसगढ़।
9. सर्व अध्ययन केन्द्र प्रभारी,दूरस्थ शिक्षा केन्द्र..

(अनिल राय)
संचालक
एस.सी.ई.आर.टी.छ.ग.रायपुर

State Council of Educational
Research & Training, Chhattisgarh
Shankar Nagar, Raipur (C.G.)

राज्य शैक्षिक अनुसंधान
एवं प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़,
शंकर नगर, रायपुर

Telephone-0771-2443596 Fax-0771-2443496 Website: www.scert.cg.gov.in Email: scertcg@gmail.com

क्रमांक/शिक्षक शिक्षा/30-2 डी.एड./दूरस्थ शिक्षा/2013-14 4022 दिनांक 12-09-13

प्रति

आयुक्त,

आ.जाति तथा अनु.जाति विकास विभाग,

रवि.वि.वि.परिसर, रायपुर छ.ग.।

विषय :– दूरस्थ शिक्षा से अप्रशिक्षित शिक्षकों के डी.एड. प्रशिक्षण हेतु स्त्रोत व्यक्तियों व प्रशिक्षार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने विषयक्।

––00––

आपको विदित है कि RTE 2009 के अंतर्गत 03 सितंबर 2001 के बाद नियुक्त प्रारंभिक विद्यालयों के अप्रशिक्षित शिक्षकों को 05 वर्ष की समय सीमा में प्रशिक्षित किया जाना है। एस.सी.ई.आर.टी.द्वारा राज्य में शासकीय व शत् प्रतिशत् अनुदान प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों हेतु द्विवर्षीय डी.एड. प्रशिक्षण कार्यक्रम विगत् सत्र 2012-13 से संचालित किया जा रहा है विगत् सत्र में 10000 शिक्षक पंजीकृत थे वर्तमान सत्र 2013-14 में शेष सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को पंजीकृत किया जाना है जिनकी संख्या लगभग 28000 है। यह प्रशिक्षण लगभग 135 केन्द्रों के माध्यम से संचालित किया जावेगा।

प्रशिक्षण के सफल संचालन हेतु सभी संबद्ध विभागों के सतत् सहयोग की आवश्यकता है,इस हेतु आपका ध्यान अधोलिखित बिंदुओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ–

- प्रशिक्षण में शामिल अप्रशिक्षित शिक्षक स्कूल शिक्षा विभाग, आदिम जाति विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय निकाय के है अतः यह सभी विभागों का संयुक्त कार्यक्रम है। अतः आपसे अनुरोध है कृपया अपने अधीनस्थों को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को सर्वप्राथमिकता दिए जाने निर्देशित करें।
- प्रशिक्षण हेतु राज्य में 20 डाइट/बी.टी.आई./निजी प्रशिक्षण संस्थाएँ तथा 115 से अधिक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। इस तरह लगभग 135 अध्ययन केन्द्र बनाए गए हैं। प्रत्येक अध्ययन केन्द्र में 12 से 14 स्रोत व्यक्ति विषय प्रशिक्षक के रूप में चिन्हांकित किए गए है तथा इन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है। शुरू के 6-7 दिन के सिवाय प्रशिक्षण सामान्यतः अवकाश के दिनों में संचालित किया जाता है। इन स्रोत व्यक्तियों को संबंधित संस्था प्रमुख एवं अन्य अधिकारियों द्वारा कार्यमुक्त नहीं किया जाता है जिससे प्रशिक्षण संचालन में

कठिनाई होती है तथा गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। अतः इन स्रोत व्यक्तियों को प्रशिक्षण अवधि में कार्यमुक्त करने हेतु कृपया संस्था प्रमुखों व अन्य अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

- प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षार्थियों हेतु अध्ययन केन्द्रों में प्रति वर्ष 32 दिन का संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिसमें परीक्षा लेने वाली निकाय छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल के नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवश्यक है। अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षार्थियों को इस अवधि में कार्यमुक्त न करने अथवा अन्य कार्यों में संलग्न कर देने के कारण इनकी उपस्थिति पूरी नहीं हो पाती। विगत् वर्ष कम उपस्थिति के कारण कुछ प्रशिक्षार्थी परीक्षा से वंचित रह गए थे। चूंकि प्रशिक्षण RTE के तहत् किया जा रहा है अतः कृपया इनसे RTE में उल्लेखित राष्ट्रीय महत्व के कार्यों जैसे चुनाव आदि को छोड़कर प्रशिक्षण अवधि में अन्य कार्य न लिए जाएं एवं संपर्क कार्यक्रमों में सम्मिलित होने हेतु अनिवार्यतः कार्यमुक्त किया जावे।
- इस वर्ष कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों के अतिरिक्त हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी में पदस्थ अथवा स्कूल के अतिरिक्त अन्य जगहों पर कार्य कर रहे सहायक शिक्षक/सहायक शिक्षक (पंचायत)/सहायक शिक्षक विज्ञान/सहायक शिक्षक विज्ञान (पंचायत) को भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। पाठ्यक्रम अनुसार शिक्षकों को प्रथम वर्ष 60 दिवस एवं द्वितीय वर्ष 65 दिवस का शालेय चिंतन मनन कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालयों में पूरा करना होता है। इस अवधि में वे शिक्षण योजना बनाकर विषयों का अध्यापन करने के साथ ही बच्चों व समुदाय के साथ विभिन्न कार्य व गतिविधियाँ तथा प्रोजेक्ट कार्य पूरा करते है इसका प्रतिवेदन तैयार करते है व विभिन्न प्रपत्र भरते है। इसी के आधार पर इनका व्यावहारिक मूल्यांकन होता है अतः इस अवधि में ऐसे शिक्षकों को 60 दिवस हेतु (द्वितीय वर्ष 65 दिवस हेतु) निकटस्थ प्राथमिक विद्यालयों में संलग्न करने हेतु आदेशित करने का कष्ट करें ताकि वे शालेय चिंतन मनन कार्यक्रम पूरा कर सकें।
- सत्र 2013–14 के 32 दिन संपर्क कार्यक्रम का शेड्यूल आपके अवलोकनार्थ पत्र के साथ संलग्न है। प्रारंभ में दोनों वर्षों हेतु 05–05 दिवस के संपर्क कार्यक्रम कार्यदिवसों में आयोजित होने है (प्रथम वर्ष हेतु दिनांक 23.08.13 से

दिनांक 27.08.13 एवं द्वितीय वर्ष हेतु दिनांक 29.08.13 से 02.09.13) शेष सभी संपर्क कार्यक्रम अवकाश के दिनों में संपन्न होने है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु कृपया अपने अधीनस्थ जिला एवं विकास खंड स्तर के अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें ताकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

संलग्न– प्रथम व द्वितीय वर्ष हेतु 32 दिवस के संपर्क कार्यक्रम का शेड्यूल।

(अनिल राय)
संचालक
एस.सी.ई.आर.टी.छ.ग.रायपुर

पृ.क्रमांक / शिक्षक शिक्षा / 30–2 डी.एड / दूरस्थ शिक्षा / 30–2 / 2013–14 4083 दिनांक 12.08.13

प्रतिलिपि –

1. ~~अध्यक्ष~~ सचिव, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग छत्तीसगढ़,रायपुर।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर।
3. मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन,राज्य परियोजना कार्यालय छत्तीसगढ़, रायपुर।
4. कलेक्टर, जिला ....छत्तीसगढ़।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत..छत्तीसगढ़।
6. सर्व जिला शिक्षा अधिकारी .... छत्तीसगढ़।
7. सर्व सहायक आयुक्त ....आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग छत्तीसगढ़।
8. सर्व जिला परियोजना समन्वयक..राजीव गांधी शिक्षा मिशन छत्तीसगढ़।
9. सर्व अध्ययन केन्द्र प्रभारी,दूरस्थ शिक्षा केन्द्र...

(अनिल राय)
संचालक
एस.सी.ई.आर.टी.छ.ग.रायपुर

State Council of Educational
Research & Training, Chhattisgarh
Shankar Nagar, Raipur (C.G.)

राज्य शैक्षिक अनुसंधान
एवं प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़,
शंकर नगर, रायपुर

Telephone-0771-2443596 Fax-0771-2443496 Website: www.scert.cg.gov.in Email: scertcg@gmail.com

क्रमांक / शिक्षक शिक्षा / 30–2 डी.एड. / दूरस्थ शिक्षा / 2013–14 4094 दिनांक 12.09.13

प्रति

आयुक्त,

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,

रायपुर छ.ग.।

विषय :– दूरस्थ शिक्षा से अप्रशिक्षित शिक्षकों के डी.एड. प्रशिक्षण हेतु स्त्रोत व्यक्तियों व प्रशिक्षार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने विषयक्।

––00––

आपको विदित है कि RTE 2009 के अंतर्गत 03 सितंबर 2001 के बाद नियुक्त प्रारंभिक विद्यालयों के अप्रशिक्षित शिक्षकों को 05 वर्ष की समय सीमा में प्रशिक्षित किया जाना है। एस.सी.ई.आर.टी.द्वारा राज्य में शासकीय व शत् प्रतिशत् अनुदान प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों हेतु द्विवर्षीय डी.एड. प्रशिक्षण कार्यक्रम विगत् सत्र 2012–13 से संचालित किया जा रहा है विगत् सत्र में 10000 शिक्षक पंजीकृत थे वर्तमान सत्र 2013–14 में शेष सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को पंजीकृत किया जाना है जिनकी संख्या लगभग 28000 है। यह प्रशिक्षण लगभग 135 केन्द्रों के माध्यम से संचालित किया जावेगा।

प्रशिक्षण के सफल संचालन हेतु सभी संबद्ध विभागों के सतत् सहयोग की आवश्यकता है,इस हेतु आपका ध्यान अधोलिखित बिंदुओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ–

- प्रशिक्षण में शामिल अप्रशिक्षित शिक्षक स्कूल शिक्षा विभाग, आदिम जाति विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय निकाय के है अतः यह सभी विभागों का संयुक्त कार्यक्रम है। अतः आपसे अनुरोध है कृपया अपने अधीनस्थों को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को सर्वप्राथमिकता दिए जाने निर्देशित करें।
- प्रशिक्षण हेतु राज्य में 20 डाइट / बी.टी.आई. / निजी प्रशिक्षण संस्थाएँ तथा 115 से अधिक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। इस तरह लगभग 135 अध्ययन केन्द्र बनाए गए हैं। प्रत्येक अध्ययन केन्द्र में 12 से 14 स्रोत व्यक्ति विषय प्रशिक्षक के रूप में चिन्हांकित किए गए है तथा इन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है। शुरू के 6–7 दिन के सिवाय प्रशिक्षण सामान्यतः अवकाश के दिनों में संचालित किया जाता है। इन स्रोत व्यक्तियों को संबंधित संस्था प्रमुख एवं अन्य अधिकारियों द्वारा कार्यमुक्त नहीं किया जाता है जिससे प्रशिक्षण संचालन में

कठिनाई होती है तथा गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। अतः इन स्रोत व्यक्तियों को प्रशिक्षण अवधि में कार्यमुक्त करने हेतु कृपया संस्था प्रमुखों व अन्य अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

- प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षार्थियों हेतु अध्ययन केन्द्रों में प्रति वर्ष 32 दिन का संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिसमें परीक्षा लेने वाली निकाय छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल के नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवश्यक है। अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षार्थियों को इस अवधि में कार्यमुक्त न करने अथवा अन्य कार्यों में संलग्न कर देने के कारण इनकी उपस्थिति पूरी नहीं हो पाती। विगत् वर्ष कम उपस्थिति के कारण कुछ प्रशिक्षार्थी परीक्षा से वंचित रह गए थे। चूंकि प्रशिक्षण RTE के तहत् किया जा रहा है अतः कृपया इनसे RTE में उल्लेखित राष्ट्रीय महत्व के कार्यों जैसे चुनाव आदि को छोड़कर प्रशिक्षण अवधि में अन्य कार्य न लिए जाएं एवं संपर्क कार्यक्रमों में सम्मिलित होने हेतु अनिवार्यतः कार्यमुक्त किया जावे।
- इस वर्ष कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों के अतिरिक्त हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी में पदस्थ अथवा स्कूल के अतिरिक्त अन्य जगहों पर कार्य कर रहे सहायक शिक्षक/सहायक शिक्षक (पंचायत)/सहायक शिक्षक विज्ञान/सहायक शिक्षक विज्ञान (पंचायत) को भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। पाठ्यक्रम अनुसार शिक्षकों को प्रथम वर्ष 60 दिवस एवं द्वितीय वर्ष 65 दिवस का शालेय चिंतन मनन कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालयों में पूरा करना होता है। इस अवधि में वे शिक्षण योजना बनाकर विषयों का अध्यापन करने के साथ ही बच्चों व समुदाय के साथ विभिन्न कार्य व गतिविधियाँ तथा प्रोजेक्ट कार्य पूरा करते है इसका प्रतिवेदन तैयार करते है व विभिन्न प्रपत्र भरते है। इसी के आधार पर इनका व्यावहारिक मूल्यांकन होता है अतः इस अवधि में ऐसे शिक्षकों को 60 दिवस हेतु (द्वितीय वर्ष 65 दिवस हेतु) निकटस्थ प्राथमिक विद्यालयों में संलग्न करने हेतु आदेशित करने का कष्ट करें ताकि वे शालेय चिंतन मनन कार्यक्रम पूरा कर सकें।
- सत्र 2013–14 के 32 दिन संपर्क कार्यक्रम का शेड्यूल आपके अवलोकनार्थ पत्र के साथ संलग्न है। प्रारंभ में दोनों वर्षों हेतु 05–05 दिवस के संपर्क कार्यक्रम कार्यदिवसों में आयोजित होने है (प्रथम वर्ष हेतु दिनांक 23.08.13 से

दिनांक 27.08.13 एवं द्वितीय वर्ष हेतु दिनांक 29.08.13 से 02.09.13) शेष सभी संपर्क कार्यक्रम अवकाश के दिनों में संपन्न होने है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु कृपया अपने अधीनस्थ जिला एवं विकास खंड स्तर के अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें ताकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

संलग्न– प्रथम व द्वितीय वर्ष हेतु 32 दिवस के संपर्क कार्यक्रम का शेड्यूल।

(अनिल राय)
संचालक
एस.सी.ई.आर.टी.छ.ग.रायपुर

पृ.क्रमांक / शिक्षक शिक्षा / 30–2 डी.एड / दूरस्थ शिक्षा / 30–2 / 2013–14 4085 दिनांक 12.08.13

प्रतिलिपि – 21/49

1. ~~अध्यक्ष~~, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग छत्तीसगढ़,रायपुर।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर।
3. मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन,राज्य परियोजना कार्यालय छत्तीसगढ़, रायपुर।
4. कलेक्टर, जिला ....छत्तीसगढ़।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत..छत्तीसगढ़।
6. सर्व जिला शिक्षा अधिकारी .... छत्तीसगढ़।
7. सर्व सहायक आयुक्त ....आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग छत्तीसगढ़।
8. सर्व जिला परियोजना समन्वयक...राजीव गांधी शिक्षा मिशन छत्तीसगढ़।
9. सर्व अध्ययन केन्द्र प्रभारी,दूरस्थ शिक्षा केन्द्र...

(अनिल राय)
संचालक
एस.सी.ई.आर.टी.छ.ग.रायपुर

State Council of Educational
Research & Training, Chhattisgarh
Shankar Nagar, Raipur (C.G.)

राज्य शैक्षिक अनुसंधान
एवं प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़,
शंकर नगर, रायपुर

Telephone-0771-2443596 Fax-0771-2443496 Website: www.scert.cg.gov.in Email: scertcg@gmail.com

क्रमांक/शिक्षक शिक्षा/30–2 डी.एड./दूरस्थ शिक्षा/2013–14 4086 दिनांक 12.08.13

प्रति

संचालक,

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,

छ.ग.,रायपुर।

विषय :– दूरस्थ शिक्षा से अप्रशिक्षित शिक्षकों के डी.एड. प्रशिक्षण हेतु स्त्रोत व्यक्तियों व प्रशिक्षार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने विषयक्।

––00––

आपको विदित है कि RTE 2009 के अंतर्गत 03 सितंबर 2001 के बाद नियुक्त प्रारंभिक विद्यालयों के अप्रशिक्षित शिक्षकों को 05 वर्ष की समय सीमा में प्रशिक्षित किया जाना है। एस.सी.ई.आर.टी.द्वारा राज्य में शासकीय व शत् प्रतिशत् अनुदान प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों हेतु द्विवर्षीय डी.एड. प्रशिक्षण कार्यक्रम विगत् सत्र 2012–13 से संचालित किया जा रहा है विगत् सत्र में 10000 शिक्षक पंजीकृत थे वर्तमान सत्र 2013–14 में शेष सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को पंजीकृत किया जाना है जिनकी संख्या लगभग 28000 है। यह प्रशिक्षण लगभग 135 केन्द्रों के माध्यम से संचालित किया जावेगा।

प्रशिक्षण के सफल संचालन हेतु सभी संबद्ध विभागों के सतत् सहयोग की आवश्यकता है,इस हेतु आपका ध्यान अधोलिखित बिंदुओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ–

- प्रशिक्षण में शामिल अप्रशिक्षित शिक्षक स्कूल शिक्षा विभाग, आदिम जाति विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय निकाय के है अतः यह सभी विभागों का संयुक्त कार्यक्रम है। अतः आपसे अनुरोध है कृपया अपने अधीनस्थों को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को सर्वप्राथमिकता दिए जाने निर्देशित करें।
- प्रशिक्षण हेतु राज्य में 20 डाइट/बी.टी.आई./निजी प्रशिक्षण संस्थाएँ तथा 115 से अधिक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। इस तरह लगभग 135 अध्ययन केन्द्र बनाए गए हैं। प्रत्येक अध्ययन केन्द्र में 12 से 14 स्रोत व्यक्ति विषय प्रशिक्षक के रूप में चिन्हांकित किए गए है तथा इन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है। शुरू के 6–7 दिन के सिवाय प्रशिक्षण सामान्यतः अवकाश के दिनों में संचालित किया जाता है। इन स्रोत व्यक्तियों को संबंधित संस्था प्रमुख एवं अन्य अधिकारियों द्वारा कार्यमुक्त नहीं किया जाता है जिससे प्रशिक्षण संचालन में

कठिनाई होती है तथा गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। अतः इन स्रोत व्यक्तियों को प्रशिक्षण अवधि में कार्यमुक्त करने हेतु कृपया संस्था प्रमुखों व अन्य अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

- प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षार्थियों हेतु अध्ययन केन्द्रों में प्रति वर्ष 32 दिन का संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिसमें परीक्षा लेने वाली निकाय छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल के नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवश्यक है। अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षार्थियों को इस अवधि में कार्यमुक्त न करने अथवा अन्य कार्यों में संलग्न कर देने के कारण इनकी उपस्थिति पूरी नहीं हो पाती। विगत् वर्ष कम उपस्थिति के कारण कुछ प्रशिक्षार्थी परीक्षा से वंचित रह गए थे। चूंकि प्रशिक्षण RTE के तहत् किया जा रहा है अतः कृपया इनसे RTE में उल्लेखित राष्ट्रीय महत्व के कार्यों जैसे चुनाव आदि को छोड़कर प्रशिक्षण अवधि में अन्य कार्य न लिए जाएं एवं संपर्क कार्यक्रमों में सम्मिलित होने हेतु अनिवार्यतः कार्यमुक्त किया जावे।
- इस वर्ष कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों के अतिरिक्त हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी में पदस्थ अथवा स्कूल के अतिरिक्त अन्य जगहों पर कार्य कर रहे सहायक शिक्षक/सहायक शिक्षक (पंचायत)/सहायक शिक्षक विज्ञान/सहायक शिक्षक विज्ञान (पंचायत) को भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। पाठ्यक्रम अनुसार शिक्षकों को प्रथम वर्ष 60 दिवस एवं द्वितीय वर्ष 65 दिवस का शालेय चिंतन मनन कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालयों में पूरा करना होता है। इस अवधि में वे शिक्षण योजना बनाकर विषयों का अध्यापन करने के साथ ही बच्चों व समुदाय के साथ विभिन्न कार्य व गतिविधियाँ तथा प्रोजेक्ट कार्य पूरा करते है इसका प्रतिवेदन तैयार करते है व विभिन्न प्रपत्र भरते है। इसी के आधार पर इनका व्यावहारिक मूल्यांकन होता है अतः इस अवधि में ऐसे शिक्षकों को 60 दिवस हेतु (द्वितीय वर्ष 65 दिवस हेतु) निकटस्थ प्राथमिक विद्यालयों में संलग्न करने हेतु आदेशित करने का कष्ट करें ताकि वे शालेय चिंतन मनन कार्यक्रम पूरा कर सकें।
- सत्र 2013–14 के 32 दिन संपर्क कार्यक्रम का शेड्यूल आपके अवलोकनार्थ पत्र के साथ संलग्न है। प्रारंभ में दोनों वर्षों हेतु 05–05 दिवस के संपर्क कार्यक्रम कार्यदिवसों में आयोजित होने है (प्रथम वर्ष हेतु दिनांक 23.08.13 से

दिनांक 27.08.13 एवं द्वितीय वर्ष हेतु दिनांक 29.08.13 से 02.09.13) शेष सभी संपर्क कार्यक्रम अवकाश के दिनों में संपन्न होने है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु कृपया अपने अधीनस्थ जिला एवं विकास खंड स्तर के अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें ताकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

संलग्न– प्रथम व द्वितीय वर्ष हेतु 32 दिवस के संपर्क कार्यक्रम का शेड्यूल।

(अनिल राय)
संचालक
एस.सी.ई.आर.टी.छ.ग.रायपुर

पृ.क्रमांक/शिक्षक शिक्षा/30–2 डी.एड/दूरस्थ शिक्षा/30–2/2013–14 4087 दिनांक 12.08.13

प्रतिलिपि – सूचनार्थ

1. ~~अध्यक्ष~~, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग छत्तीसगढ़,रायपुर।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर।
3. मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन,राज्य परियोजना कार्यालय छत्तीसगढ़, रायपुर।
4. कलेक्टर, जिला .....छत्तीसगढ़।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत..... छत्तीसगढ़।
6. सर्व जिला शिक्षा अधिकारी ..... छत्तीसगढ़।
7. सर्व सहायक आयुक्त .....आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग छत्तीसगढ़।
8. सर्व जिला परियोजना समन्वयक.....राजीव गांधी शिक्षा मिशन छत्तीसगढ़।
9. सर्व अध्ययन केन्द्र प्रभारी,दूरस्थ शिक्षा केन्द्र.....

(अनिल राय)
संचालक
एस.सी.ई.आर.टी.छ.ग.रायपुर

State Council of Educational
Research & Training, Chhattisgarh
Shankar Nagar, Raipur (C.G.)

राज्य शैक्षिक अनुसंधान
एवं प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़,
शंकर नगर, रायपुर

Telephone-0771-2443596 Fax-0771-2443496 Website: www.scert.cg.gov.in Email: scertcg@gmail.com

क्रमांक / शिक्षक शिक्षा / 30–2 डी.एड. / दूरस्थ शिक्षा / 2013–14 / 4078 दिनांक 12.08.13

प्रति

सचिव,
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग
रायपुर छ.ग.

विषय :– दूरस्थ शिक्षा से RTE के तहत् अप्रशिक्षित शिक्षकों के डी.एड.प्रशिक्षण विषयक्।

––00––

''निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009'' धारा 23 की उपधारा 2 के अनुसार–''ऐसा कोई शिक्षक, जिसके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर धारा 23 की उपधारा 1 के अधीन यथाअधिकथित न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगा। ''

इसी अनुक्रम में राज्य की कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में अध्यापन करने वाले अप्रशिक्षित शिक्षकों को 05 वर्ष की समय सीमा में प्रशिक्षित किया जाना है। अतः यह कार्य 2015 तक पूर्ण किया जाना है।

इस हेतु एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा लगभग 135 केन्द्रों के माध्यम से समस्त अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित होने का अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। शासकीय व शत् प्रतिशत अनुदान प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों हेतु द्विवर्षीय में डी.एड.प्रशिक्षण कार्यक्रम विगत् सत्र 2012–13 से संचालित किया जा रहा है।

प्रशिक्षण में शामिल अप्रशिक्षित शिक्षक स्कूल शिक्षा विभाग, आदिम जाति विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय निकाय से है। इसी तरह प्रत्येक अध्ययन केन्द्र में विषय प्रशिक्षक के रूप में 12 से 14 स्रोत व्यक्ति प्रशिक्षण देने हेतु चिन्हांकित किए गए हैं तथा इन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है।

संपर्क कार्यक्रम/प्रशिक्षण हेतु कुछ संस्था प्रमुखों/अधिकारियों द्वारा स्त्रोत व्यक्तियों व प्रशिक्षार्थियों को कार्यमुक्त करने के लिए सम्बन्धित विभाग का आदेश चाहा जाता है। जिससे प्रशिक्षण संचालन में बाधा उत्पन्न होती है एवं गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ता है साथ ही प्रशिक्षार्थीयों को परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवश्यक 75 प्रतिशत उपस्थिति पूर्ण करने में कठिनाई होती है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन हेतु राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् को राज्य शासन द्वारा अकादमिक प्राधिकरण के रूप में घोषित किया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि समस्त विभाग को निर्देशित करने का कष्ट करें कि प्राथमिक स्तर में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा जारी आदेशों को शासन का आदेश मानकर उस पर त्वरित कार्यवाही की जावे।

(अनिल राय)
संचालक
एस.सी.ई.आर.टी.छ.ग.रायपुर

पृ.क्रमांक/शिक्षक शिक्षा/30–2 डी.एड/दूरस्थ शिक्षा/30–2/2013–14 4079 दिनांक 12.08.13

प्रतिलिपि –

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर।
2. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय पेंशनबाड़ा रायपुर, छत्तीसगढ़।
3. आयुक्त,आ.जाति तथा अनु.जाति विकास विभाग रवि.वि.वि.परिसर, रायपुर छ.ग.।
4. आयुक्त,पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,रायपुर छ.ग.।
5. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, छ.ग.।
6. मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन,राज्य परियोजना कार्यालय छ.ग., रायपुर।
7. सर्व कलेक्टर, जिला .....छ.ग.।
8. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत..... छ.ग.।
9. सर्व जिला शिक्षा अधिकारी ..... छ.ग.।
10. सर्व सहायक आयुक्त आ.जा. तथा अनुसूचित जाति विकास .....छ.ग.।
11. सर्व जिला परियोजना समन्वयक.....राजीव गांधी शिक्षा मिशन छ.ग.।

(अनिल राय)
संचालक
एस.सी.ई.आर.टी.छ.ग.रायपुर